न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी जी–37, रीको चतुर्थ फेस, पुर रोड़, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 05/2025**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.01.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05/2025/60 दिनांक 16.01.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2024 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 27.11.2024 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग से होने से एवं बिन्दु संख्या 02 व 03 में वांछित सूचना, विशिष्टीविहीन होने से आरटीआई की धारा 6(1)(बी) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियां अंकित करना व सूचना से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है, अधिनियमानुसार सामग्री से निष्कर्ष निकालकर तथ्यों को खोजकर उपलब्ध कराना प्रावधानों के तहत प्रावधित नही है, इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग व प्रार्थी अपीलार्थी को सूचनार्थ हेतु कार्यालय के जरिये पत्रांक 7016–17 दिनांक 27.11.2024 से संबंधित अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। आवेदन में ईप्सित बिन्दु संख्या 01 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा पत्रांक 1455 दिनांक 11.12.2024 से पृष्ठ संख्या 04 की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गई, इस कार्यालय के पत्रांक 7085 दिनांक 23.12.2024 से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) व 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उक्त पत्र की पालना में कोई शुल्क राशि अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं करवाई गई, जिसके अभाव में सूचना इस कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में बिन्दु संख्या 01 की सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया एवं बिन्दु संख्या 02 व 03 की सूचना के संबंध में विशिष्टियां अंकित करना व सूचना से संबंधित दस्तावेज करने हेतु सूचित किया गया।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी बिन्दु संख्या 1 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को निश्चित समयावधि शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने तथा बिन्दु संख्या 02 व 03 की सूचना के संबंध में विशिष्टयां अंकित करने व सूचना से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सूचित किये जाने से अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 01 की सूचना कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर नियमानुसार राशि जमा करा कर वांछित सूचना प्राप्त करे। तथा बिन्दु संख्या 02 व 03 की सूचना के संबंध में विशिष्टीयॉ अंकित कर वांछित सूचना नियमानुसार प्राप्त करे। अतः उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)